



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 368]

No. 368]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 19, 2012/आषाढ़ 28, 1934

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 19, 2012/ASADHA 28, 1934

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2012

सा.का.पि. 577(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 610ख के साथ पठित उसकी धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (केंद्रीय सरकार) साधारण नियम और प्ररूप, 1956 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त कंपनी (केंद्रीय सरकार) साधारण नियम और प्ररूप (चौथा संशोधन) नियम, 2012 है।
(2) ये नियम 22 जुलाई, 2012 से प्रवृत्त होंगे।

- कंपनी (केंद्रीय सरकार) साधारण नियम और प्ररूप, 1956 के उपाबंध 'क' में,—

(क) प्ररूप 8 में, क्रम संख्यांक 8 उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा :-

“8. प्रभार धारक की विशिष्टियां (यदि प्रभार एआरसी या समनुदेशती के पक्ष में उपांतरित किया गया है तो एआरसी या समनुदेशती की विशिष्टियां प्रविष्ट करें)”

*प्रवर्ग

अन्य की दशा में विनिर्दिष्ट करें

*प्रभार धारक का नाम

प्रभार धारकों की सूची प्राप्त करें

अन्य की दशा में विनिर्दिष्ट करें

सीआईएन, यदि लागू हो

पहले से भरा हुआ

नाम

*पता

पंक्ति I

पंक्ति II

*नगर

*राज्य

”;

*आईएसओ देश कोड

देश

*पिन कोड

*ई-मेल आई डी

”;

(ख) प्रारूप 10 में, क्रम संख्यांक 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :-

“5. डिबैंचर धारकों या प्रभार धारकों के न्यासियों की संख्या

डिबैंचर धारकों और प्रभार धारकों के न्यासियों की विशिष्टियां (एआरसी या समनुदेशिती के पक्ष में उपांतरित प्रभार की दशा में एआरसी या समनुदेशिती के ब्यौरे प्रविष्ट करें)

प्रभार धारकों की सूची प्राप्त करें

* प्रभार धारक का नाम

अन्य की दशा में सी आई एन विनिर्दिष्ट करें यदि लागू है

पहले से भरा हुआ

नाम

*पता

पंक्ति I

पंक्ति II

*नगर

*राज्य

*आईएसओ देश कोड

देश

*पिन कोड

* ई-मेल आई डी

(ग) प्रारूप 17 में, क्रम संख्यांक 4 में मद (क) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखे जाएंगे :-
“(क) प्रभार धारक या ए आर सी या समनुदेशिनी की विशिष्टियां

*प्रभार धारक का नाम

अन्य की दशा में सी आई एन यदि लागू हो

पहले से भरा हुआ

नाम

पता

* ई-मेल आई डी

[फा. सं. 2/2/2012-सीएल-V]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र के भाग 2 के खंड 3 उपखंड(i) अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 432(अ), तारीख 18 जनवरी, 1956 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और निम्नलिखित अधिसूचना द्वारा उसमें पश्चातवर्ती संशोधन किए गए ।

क्रम संख्यांक	अधिसूचना संख्यांक	अधिसूचना की तारीख
1.	का.नि.आ. 2535	1.11.1956
2.	का.नि.आ. 3135	21.12.1956
3.	का.नि.आ. 237	19.1.1957
4.	का.नि.आ. 2105	29.1.1957
5.	का.नि.आ.3038	28.9.1957
6.	का.नि.आ. 3867	7.12.1957
7.	सा.का.नि.48	22.2.1958
8.	सा.का.नि. 723	23.8.1958
9.	सा.का.नि. 750	30.8.1958

10.	सा.का.नि. 1026	1.11.1958
11.	सा.का.नि. 14	3.1.1959
12.	सा.का.नि. 548	9.5.1959
13.	सा.का.नि. 1140	17.10.1959
14.	सा.का.नि. 1224	7.11.1959
15.	सा.का.नि. 1364	12.12.1959
16.	सा.का.नि. 220	27.2.1960
17.	सा.का.नि. 595	28.5.1960
18.	सा.का.नि. 195	18.2.1961
19.	सा.का.नि. 814	24.6.1961
20.	सा.का.नि. 1105	9.9.1961
21.	सा.का.नि. 1408	25.11.1961
22.	सा.का.नि. 653	12.5.1962
23.	सा.का.नि. 344	2.3.1963
24.	सा.का.नि. 628	13.4.1963
25.	सा.का.नि. 97	16.1.1965
26.	सा.का.नि. 822	12.6.1965
27.	सा.का.नि. 1570	30.10.1965
28.	सा.का.नि. 368	19.3.1966
29.	सा.का.नि. 421	18.3.1966
30.	सा.का.नि. 499	9.4.1966
31.	सा.का.नि. 743	21.5.1966
32.	सा.का.नि. 847	4.6.1966
33.	सा.का.नि. 1266	13.8.1966
34.	सा.का.नि. 130	20.1.1968
35.	सा.का.नि. 667	30.6.1973
36.	सा.का.नि. 327 (अ)	10.6.1975
37.	सा.का.नि. 414 (अ)	16.7.1975
38.	सा.का.नि. 2596	1.11.1975
39.	सा.का.नि. 2828	13.12.1975
40.	सा.का.नि. 154	31.1.1976
41.	सा.का.नि. 248 (अ)	24.3.1976
42.	सा.का.नि. 627	14.5.1977
43.	सा.का.नि. 24 (अ)	9.1.1979
44.	सा.का.नि. 1256	6.10.1979
45.	सा.का.नि. 555(अ)	4.9.1982
46.	सा.का.नि. 479(अ)	22.4.1988
47.	सा.का.नि. 694(अ)	10.6.1988
48.	सा.का.नि. 782(अ)	13.7.1988
49.	सा.का.नि. 908(अ)	7.9.1988
50.	सा.का.नि. 1032(अ)	26.10.1988
51.	सा.का.नि. 449(अ)	17.4.1989
52.	सा.का.नि. 510(अ)	24.5.1990
53.	सा.का.नि. 795(अ)	18.9.1990
54.	सा.का.नि. 289(अ)	31.5.1991

55.	सा.का.नि. 614(अ)	3.10.1991
56.	सा.का.नि. 754(अ)	26.12.1991
57.	सा.का.नि. 312(अ)	6.3.1992
58.	सा.का.नि. 353(अ)	26.3.1992
59.	सा.का.नि. 484(अ)	11.5.1992
60.	सा.का.नि. 581(अ)	27.8.1993
61.	सा.का.नि. 621(अ)	24.9.1993
62.	सा.का.नि. 286(अ)	1.3.1994
63.	सा.का.नि. 598(अ)	28.7.1994
64.	सा.का.नि. 697(अ)	20.9.1994
65.	सा.का.नि. 283(अ)	21.3.1995
66.	सा.का.नि. 424(अ)	26.5.1995
67.	सा.का.नि. 251(अ)	21.6.1996
68.	सा.का.नि. 97(अ)	28.2.1997
69.	सा.का.नि. 126(अ)	1.3.1997
70.	सा.का.नि. 16(अ)	6.1.1999
71.	सा.का.नि. 23(अ)	12.1.1999
72.	सा.का.नि. 130(अ)	23.2.1999
73.	सा.का.नि. 788(अ)	29.11.1999
74.	सा.का.नि. 58(अ)	17.1.2000
75.	सा.का.नि. 363(अ)	27.4.2000
76.	सा.का.नि. 638(अ)	26.7.2000
77.	सा.का.नि. 836(अ)	24.10.2000
78.	सा.का.नि. 24(अ)	15.01.2001
79.	सा.का.नि. 35(अ)	24.1.2001
80.	सा.का.नि. 51(अ)	31.1.2001
81.	सा.का.नि. 96(अ)	14.2.2001
82.	सा.का.नि. 330(अ)	7.5.2002
83.	सा.का.नि. 5(अ)	3.1.2003
84.	सा.का.नि. 479(अ)	12.6.2003
85.	सा.का.नि. 580(अ)	24.7.2003
86.	सा.का.नि. 56(अ)	10.2.2006
87.	सा.का.नि. 555(अ)	14.9.2006
88.	सा.का.नि. 399(अ)	30.5.2007
89.	सा.का.नि. 500(अ)	24.7.2007
90.	सा.का.नि. 720(अ)	16.11.2007
91.	सा.का.नि. 655 (अ)	12.9.2008
92.	सा.का.नि. 788 (अ)	14.11.2008
93.	सा.का.नि. 824 (अ)	28.11.2008
94.	सा.का.नि. 835 (अ)	4.12.2008
95.	सा.का.नि. 868 (अ)	22.12.2008
96.	सा.का.नि. 872 (अ)	23.12.2008
97.	सा.का.नि. 876(अ)	24.12.2008
98.	सा.का.नि. 183 (अ)	20.03.2009

99.	सा. का. नि. 257 (अ)	17.4.2009
100.	सा. का. नि. 284 (अ)	24.4.2009
101.	सा. का. नि. 643 (अ)	07.09.2010
102.	सा. का. नि. 649 (अ)	08.09.2010
103.	सा. का. नि. 78 (अ)	10.02.2011
104.	सा. का. नि. 259 (अ)	26.03.2011
105.	सा. का. नि. 351 (अ)	29.04.2011
106.	सा. का. नि. 407 (अ)	26.05.2011
107.	सा. का. नि. 408 (अ)	26.05.2011
108.	सा. का. नि. 514 (अ)	07.07.2011
109.	सा. का. नि. 533 (अ)	14.07.2011
110.	सा. का. नि. 618 (अ)	10.08.2011
111.	सा. का. नि. 716 (अ)	23.09.2011
112.	सा. का. नि. 749 (अ)	05.10.2011
113.	सा. का. नि. 313 (अ)	24.04.2012
114.	सा. का. नि. 411 (अ)	31.05.2012
115.	सा. का. नि. 548 (अ)	10.07.2012

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 19th July, 2012

G.S.R. 577(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 642 read with section 610B of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Central Government's) General Rules and Forms, 1956, namely:—

1. (1) These rules may be called the Companies (Central Government's) General Rules and Forms (Fourth Amendment) Rules, 2012.

(2) These rules shall come into force with effect from the 22nd July, 2012.

2. In the Companies (Central Government's) General Rules and Forms, 1956, in Annexure 'A',—

(a) in Form 8, for serial number 8 and entries relating thereto, the following shall be substituted—

(8. Particulars of the charge holder (In case charge is modified in favour of ARC or assignee, enter particulars of ARC or assignee))

Category

If others, specify

Get list of chargeholders

Name of chargeholder

In case of others, specify

CIN, if applicable

Pre-fill

Name

*Address Line I

Line II

*City

*State

*ISO country code

Country

*Pin code

*e-mail ID

(b) in Form 10, for serial number 5 and entries relating thereto, the following shall be substituted -

5. *Number of trustee(s) of debenture holders or charge holder(s)

Particulars of the trustee of debenture holders or charge holder (In case charge is modified in favour of ARC or assignee, enter particulars of ARC or assignee)

		Get list of chargeholders
*Name of chargeholder		
<input type="text"/>		
In case of others, specify		
CIN, if applicable		Pre-fill
<input type="text"/>		
Name		
<input type="text"/>		
*Address Line I	<input type="text"/>	
Line II	<input type="text"/>	
*City	<input type="text"/>	
*State	<input type="text"/>	
*ISO country code	<input type="text"/>	
Country	<input type="text"/>	
*Pin code	<input type="text"/>	
*e-mail ID	<input type="text"/>	

(c) in Form 17, in serial number 4, for item (a) and entries relating thereto, the following shall be substituted -

2636GT/12-3

(a) Particulars of the chargeholder or ARC or assignee

Name of chargeholder

Get list of chargeholders

In case of others,

CIN, if applicable

Name

Pre-fill

Address

e-mail ID

[F. No. 2/2/2012-CL-V]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 432(E) dated the 18th January, 1956 and subsequently amended vide the following notifications:-

Serial Number	Notification Number	Notification Date	Serial Number	Notification Number	Notification Date
1.	SRO 2535	1.11.1956	17.	GSR 595	28.5.1960
2.	SRO 3135	21.12.1956	18.	GSR 195	18.2.1961
3.	SRO 237	19.1.1957	19.	GSR 814	24.6.1961
4.	SRO 2105	29.1.1957	20.	GSR 1105	09.09.1961
5.	SRO 3038	28.9.1957	21.	GSR 1408	25.11.1961
6.	SRO 3867	7.12.1957	22.	GSR 653	12.05.1962
7.	GSR 48	22.2.1958	23.	GSR 344	02.03.1963
8.	GSR 723	23.8.1958	24.	GSR 628	13.4.1963
9.	GSR 750	30.8.1958	25.	GSR 97	16.1.1965
10.	GSR 1026	1.11.1958	26.	GSR 822	12.6.1965
11.	GSR 14	3.1.1959	27.	GSR 1570	30.10.1965
12.	GSR 548	9.5.1959	28.	GSR 368	19.3.1966
13.	GSR 1140	17.10.1959	29.	GSR 421	18.3.1966
14.	GSR 1224	7.11.1959	30.	GSR 499	9.4.1966
15.	GSR 1364	12.12.1959	31.	GSR 743	21.5.1966
16.	GSR 220	27.2.1960	32.	GSR 847	4.6.1966

33.	GSR 1266	13.8.1966	75.	GSR 363 (E)	27.4.2000
34.	GSR 130	20.1.1968	76.	GSR 638(E)	26.7.2000
35.	GSR 667	30.6.1973	77.	GSR 836(E)	24.10.2000
36.	GSR 327(E)	10.6.1975	78.	GSR 24(E)	15.01.2001
37.	GSR 414(E)	16.7.1975	79.	GSR 35(E)	24.01.2001
38.	GSR 2596	1.11.1975	80.	GSR 51(E)	31.01.2001
39.	GSR 2828	13.12.1975	81.	GSR 96(E)	14.02.2001
40.	GSR 154	31.1.1976	82.	GSR 330(E)	07.05.2002
41.	GSR 248(E)	24.3.1976	83.	GSR 5(E)	03.01.2003
42.	GSR 627	14.5.1977	84.	GSR 479(E)	12.06.2003
43.	GSR 24(E)	9.1.1979	85.	GSR 580(E)	24.07.2003
44.	GSR 1256	6.10.1979	86.	GSR 56(E)	10-02-2006
45.	GSR 555(E)	4.9.1982	87.	GSR 555(E)	14-09-2006
46.	GSR 479(E)	22.4.1988	88.	GSR 399 (E)	30-05-2007
47.	GSR 694(E)	10.6.1988	89.	GSR 500 (E)	24-07-2007
48.	GSR 782(E)	13.7.1988	90.	GSR 720(E)	16-11-2007
49.	GSR 908(E)	7.9.1988	91.	GSR 655(E)	12-09-2008
50.	GSR 1032(E)	26.10.1988	92.	GSR 788(E)	14-11-2008
51.	GSR 449 (E)	17.4.1989	93.	GSR 824(E)	28-11-2008
52.	GSR 510(E)	24.5.1990	94.	GSR 835(E)	04-12-2008
53.	GSR 795(E)	18.9.1990	95.	GSR 868(E)	22-12-2008
54.	GSR 289(E)	31.5.1991	96.	GSR 872(E)	23-12-2008
55.	GSR 614(E)	3.10.1991	97.	GSR 876(E)	24-12-2008
56.	GSR 754(E)	26.12.1991	98.	GSR 183(E)	20-03-2009
57.	GSR 312(E)	6.3.1992	99.	GSR 257(E)	17-04-2009
58.	GSR 353(E)	26.3.1992	100.	GSR 284(E)	24-04-2009
59.	GSR 484(E)	11.5.1992	101.	GSR 643(E)	07-09-2010
60.	GSR 581 (E)	27.8.1993	102.	GSR 649(E)	08-09-2010
61.	GSR 621 (E)	24.9.1993	103.	GSR 78 (E)	10-02-2011
62.	GSR 286(E)	1.3.1994	104.	GSR 259(E)	26-03-2011
63.	GSR 598(E)	28.7.1994	105.	GSR 351(E)	29-04-2011
64.	GSR 697(E)	20.9.1994	106.	GSR 407(E)	26-05-2011
65.	GSR 283(E)	21.3.1995	107.	GSR 408(E)	26-05-2011
66.	GSR 424(E)	26.5.1995	108.	GSR 514(E)	07-07-2011
67.	GSR 251(E)	21.6.1996	109.	GSR 533(E)	14-07-2011
68.	GSR 97(E)	28.2.1997	110.	GSR 618(E)	10-08-2011
69.	GSR 126(E)	1.3.1997	111.	GSR 716(E)	23-09-2011
70.	GSR 16(E)	6.1.1999	112.	GSR 749(E)	05-10-2011
71.	GSR 23(E)	12.1.1999	113.	GSR 313(E)	24-04-2012
72.	GSR 130(E)	23.2.1999	114.	GSR 411 (E)	31-05-2012
73.	GSR 788(E)	29.11.1999	115.	GSR 548 (E)	10-07-2012
74.	GSR 58(E)	17.1.2000			

